पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

पूर्ण बेंच

अपीलीय सिविल

न्यायमूर्ति एस.एस. संधावालिया, न्यायमूर्ति एस.सी. मित्तल और न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल

के समक्ष

गणपत, ... अपीलार्थी;

बनाम

राम देवी आदि, ... उत्तरदाताओं।

1977 की नियमित द्वितीय अपील संख्या 79

13 अक्टूबर, 1977 को हुआ फैसला

सिविल प्रक्रिया संहिता **(**1908 का वी) द्वारा ***यथा संशोधित सिविल प्रक्रिया*** संहिता (**1976** का 104) - धारा **4** ***और*** 100- ***पंजाब न्यायालय अधिनियम*** (**1918** ***का VI***) - धारा **41 (1)** - संहिता की ***धारा* 100 *में संशोधन - क्या इससे निम्नलिखित के प्रावधान प्रभावित हुए हैं? पंजाब न्यायालय अधिनियम की*** धारा **41 (1)।**

आयोजित:

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 4 (1) सामान्य रूप से पंजाब न्यायालय अधिनियम 1918 के प्रावधानों और विशेष रूप से इसकी धारा 41 के विशिष्ट प्रावधानों को उक्त संहिता के सामान्य प्रावधानों से किसी भी तरह से प्रभावित या प्रभावित होने से बचाती है। अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान संहिता की संशोधित धारा 100 से किसी भी तरह से प्रभावित या कम नहीं होते हैं। इसलिए अधिकार क्षेत्र में, जिस पर पंजाब न्यायालय अधिनियम का विस्तार

है, दूसरी अपील का प्रवेश और अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 41 द्वारा संहिता की धारा 100 के सामान्य प्रावधानों को बाहर करने के लिए नियंत्रित किया जाएगा।

(पैरा 11 और 23)।

माननीय न्यायमूर्ति एस.सी.मित्तल द्वारा मामले में शामिल कानून के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न पर राय के लिए 29*अप्रैल*, 1977 को *एक बड़ी पीठ* को मामला भेजा *गया। अब माननीय न् यायमूर्ति एस.एस. संधावलिया, माननीय न्यायमूर्ति एस.सी.* मित्तल *और माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र नाथ मित्तल ने आखिरकार 13 तारीख को गुण-दोष के आधार पर मामले का फैसला किया। अक्टूबर*, 1977।

1. *क्या* संहिता की संशोधित धारा 100 *ने किसी भी तरह* से *पंजाब न्यायालय अधिनियम की* धारा 41 (1) के प्रावधानों को प्रभावित किया है?

2. *नागरिक प्रक्रिया संहिता* की संशोधित धारा 100 *में होने वाले वाक्यांश "कानून का पर्याप्त प्रश्न"* पर *क्या व्याख्या की जानी चाहिए*?

श्री केडी मोहन, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, नारनौल की दिनांक 23*अगस्त*, 1973 की *अदालतों* की डिक्री से नियमित द्वितीय अपील। *श्री पीके गोयल, उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रेवाड़ी* द्वारा दिनांक 7*मई*, 1971 को वादी के *मुकदमे को जुर्माने के साथ खारिज करते हुए पुष्टि की गई।*

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता गोपी चंद, एएन मित्तल, विनय मित्तल, हरभगवान सिंह और एमएस जैन।

उत्तरदाताओं की ओर से वकील एसएस रोथोर और केडी सिंह।

निर्णय

न्यायमूर्ति **एस.एस. संधावालिया,**

(1) संदर्भ आदेश में सारगर्भित रूप से तैयार किए गए दो महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके लिए इस पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारण की आवश्यकता है, निम्नलिखित शब्दों में हैं- क्या संहिता की संशोधित धारा 100 ने किसी भी तरह से पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 (1) के प्रावधानों को प्रभावित किया है?

2. सिविल प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 100 में होने वाले वाक्यांश 'कानून का पर्याप्त प्रश्न' पर क्या व्याख्या की जानी चाहिए?

(2) उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि उपर्युक्त मुद्दे कानूनी हैं और इसलिए, मामले के तथ्यों का कोई भी संदर्भ वास्तव में अनावश्यक है। यह उल्लेख करना पर्याप्त है कि सिविल प्रक्रिया (संशोधन अधिनियम), 1976 द्वारा धारा 100 में शुरू किए गए आमूल-चूल संशोधनों को ध्यान में रखते हुए वे इस न्यायालय में असंख्य नियमित द्वितीय अपीलों के स्वीकार होने के चरण में बहुत ही दहलीज पर उत्पन्न होते हैं।

(3) प्रारंभ में ही यह उल्लेख किया जा सकता है कि हम सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 के प्रति स्वयं को समर्पित करेंगे क्योंकि यह स्पष्ट है कि यदि उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में दिया जाता है, तो दूसरा प्रश्न शायद ही उठेगा या किसी भी मामले में प्रकृति में अकादमिक बन जाएगा।

(4) मुद्दों को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए दो प्रावधानों की विधायी पृष्ठभूमि का कुछ संदर्भ अपरिहार्य प्रतीत होता है। भारत में नागरिक प्रक्रिया संहिताओं का इतिहास अब एक सदी से भी आगे चला गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की वर्तमान धारा 100 का वास्तविक पूर्ववर्ती नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1859 (1859 का अधिनियम संख्या 8) की धारा 372 थी। इसके बाद सिविल प्रक्रिया संहिता, 1877 लागू की गई, लेकिन इसके प्रावधान लगभग 1882 की बाद की संहिता के समान थे, जिसमें धारा 584 नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 100

के असंशोधित प्रावधानों से तेजी से मेल खाती है। विधि आयोग के 54वें प्रतिवेदन में संहिता में पर्याप्त और भौतिक परिवर्तनों की परिकल्पना की गई थी। विशेष रूप से, विधि आयोग ने धारा 100 के तहत दूसरी अपील के अधिकार पर विचार किया और इसकी गहराई से अध्ययन के बाद (इस संबंध में संदर्भ रिपोर्ट, 1973 के पृष्ठ 74 से 93 तक किया जा सकता है) धारा 100 के आभासी पुन: मसौदा तैयार करने की सिफारिश की। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 का मसौदा मोटे तौर पर विधि आयोग की सिफारिश पर तैयार किया गया था। उद्देश्यों और उसके कारणों के विवरण में, धारा 100 के संदर्भ में यह देखा गया था कि दूसरी अपील ोां को अब केवल ऐसे प्रश्नों पर अनुमति दी जानी थी जो उच्च न्यायालयों द्वारा कानून के पर्याप्त प्रश्न प्रमाणित हैं। उपर्युक्त विधेयक को अंतत सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन अधिनियम), 1976 के रूप में अधिनियमित किया गया था और संशोधित धारा 100 निम्नलिखित शब्दों में है -

"100. (1) इस *संहिता के निकाय में या इस समय लागू किसी अन्य विधि* द्वारा स्पष्ट रूप से किए गए उपबंध के *अलावा*, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी भी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री में से एक अपील उच्च न्यायालय में होगी, *यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है*।

(2) इस धारा के अधीन *अपील एकपक्षीय* रूप से पारित अपीलीय डिक्री से हो सकती *है*।

(3) इस धारा के अधीन अपील में, अपील ज्ञापन में अपील में शामिल कानून के पर्याप्त प्रश्न का सटीक उल्लेख होगा।

(4) जहां उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि किसी मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, वह उस प्रश्न को तैयार करेगा।

(5) अपील को इस प्रकार तैयार किए गए प्रश्न पर सुना जाएगा और प्रतिवादी, अपील की सुनवाई पर, यह तर्क देने की अनुमति दी जाएगी कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल नहीं है:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात न्यायालय की उस शक्ति को छीनने या कम करने वाली नहीं समझी जाएगी, जिसके आधार पर वह विधि के किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न पर अपील को रिकॉर्ड करने के कारणों से सुन सकता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि मामले में ऐसा प्रश्न शामिल है।

(5) ऐसा प्रतीत होता है कि पंजाब राज्य के भीतर (देश के विभाजन से पहले और उसके बाद भी) एक स्थानीय क़ानून के आकार में एक सीमित क्षेत्र के भीतर समानांतर कानून के रूप में कहा जा सकता है। इस प्रकृति का सबसे पहला क़ानून पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1884 (अधिनियम संख्या 18) था, जिसे इसी तरह के कई अधिनियमों द्वारा सफल बनाया गया था। हमारे प्रयोजनों के लिए वर्तमान पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 का उल्लेख करना पर्याप्त है, जिसे 12 जुलाई, 1918 को अधिसूचित किया गया था, लेकिन अगस्त, 1914 के पहले दिन से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया था। इसमें राज्य के भीतर अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के सृजन का प्रावधान है और अध्याय IV में सिविल मामलों में अपीलीय और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का भी प्रावधान है। उक्त अध्याय में सामग्री प्रावधान दूसरी अपील से संबंधित धारा 41 है, जो निम्नलिखित शब्दों में है -

"41. (1) निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी, अर्थात्:-

(a) निर्णय कानून के विपरीत है या कानून के बल वाले किसी रिवाज या उपयोग के विपरीत है;

(ख) कानून या रीति-रिवाज या उपयोग के कुछ भौतिक मुद्दे को निर्धारित करने में विफल रहने वाला निर्णय, जिसमें कानून का बल हो;

(ग) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में या इस समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया में एक पर्याप्त त्रुटि या दोष जो संभवतः गुण-दोष के आधार पर मामले के निर्णय में त्रुटि या दोष उत्पन्न कर सकता है।

(*स्पष्टीकरण*/किसी रिवाज या उपयोग के अस्तित्व या वैधता से संबंधित प्रश्न को इस धारा के अर्थ के भीतर कानून का प्रश्न माना जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन अपीलीय डिक्री से *अपील की* जा सकती *है*।

(6) इस संदर्भ में जो बात रेखांकित करने योग्य है वह यह है कि पंजाब न्यायालय अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और उपर्युक्त उद्धृत धारा 41 के बाद अधिनियमित किया गया था, हालांकि यह पूरी तरह से नहीं है, लेकिन वास्तव *में* संहिता की धारा 100 के असंशोधित प्रावधानों के अनुरूप है। भाषा में एकमात्र भौतिक अंतर धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (ए) और (बी) में 'रिवाज' शब्द को जोड़ना और उसमें एक स्पष्टीकरण का अस्तित्व है, जिसे संहिता की संबंधित धारा 100 में कोई स्थान नहीं मिलता है। इन दो प्रावधानों में इस आभासी पहचान के कारण, पंजाब न्यायालय अधिनियम जिन क्षेत्रों में फैला हुआ है, उनके भीतर दूसरी अपील ोंं को नियंत्रित और विनियमित किया जाना जारी है। हालांकि, 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 100 के आमूल-चूल परिवर्तन के साथ, जबकि धारा 41 बरकरार है, अब एक संघर्ष पैदा हो गया है - अर्थात् क्या दोनों प्रावधानों में से एक या दूसरे को इस अधिकार क्षेत्र के भीतर दूसरी अपील के प्रवेश और निर्णय दोनों के प्रयोजनों के लिए आकर्षित किया जाएगा। यही वह समस्या है जिसके कारण इस संदर्भ की आवश्यकता है।

(7) अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क का मूल यह है कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 हमेशा सिविल प्रक्रिया संहिता की पहले और संशोधित धारा 100 के पूर्ण बहिष्कार के लिए क्षेत्र रखती है और जारी रखती है। यह मामला है कि पूर्व एक क़ानून है जो एक विशेष और स्थानीय कानून के दायरे में आता है, पूरी तरह से संहिता की धारा 4 के आधार पर और किसी भी मामले में धारा 100 के शुरुआती भाग द्वारा ही बचाया जाता है। नतीजतन, यह प्रस्तुत किया गया था कि उन सभी क्षेत्रों में जहां पंजाब न्यायालय अधिनियम लागू होता है, 1976 के संशोधन अधिनियम से पहले और बाद में संहिता की धारा 100 के प्रावधानों को आवश्यक निहितार्थ से बाहर रखा गया है। संक्षेप में, तर्क यह है कि प्रवेश और बाद के निर्णय दोनों के प्रयोजनों के लिए, इस अधिकार क्षेत्र के भीतर नियमित दूसरी अपील पूरी तरह से अकेले पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 द्वारा शासित होती है और संहिता की संशोधित धारा 100 के प्रावधानों से अप्रभावित होती है।

(8) उपर्युक्त तर्क को आवश्यक रूप से पहली बार में संहिता की धारा 4 की विशिष्ट भाषा पर परीक्षण किया जाना चाहिए। संदर्भ की सुविधा के लिए पहले उसका संबंधित भाग निर्धारित किया जाए -

> "4(1) इसके विपरीत किसी विशिष्ट उपबंध के अभाव में, इस संहिता की कोई भी बात इस समय लागू किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी विशेष क्षेत्राधिकार या शक्ति, या विहित किसी विशेष प्रकार की प्रक्रिया को तत्समय लागू किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन सीमित करने या अन्यथा प्रभावित करने वाली नहीं मानी जाएगी।

(9) उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि पूर्वोक्त बचत खंड को व्यापक आयाम के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है। विधायिका का स्पष्ट इरादा यह प्रतीत होता है कि जब तक इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, तब तक संहिता किसी विशेष या स्थानीय कानून या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को प्रभावित नहीं करेगी। सबसे पहले

हम यह बता सकते हैं कि इस संदर्भ में इसके विपरीत कोई विशिष्ट प्रावधान दूर-दूर तक इंगित नहीं किया गया है या किया जा सकता था। यह समान रूप से स्पष्ट है और वास्तव में यह हमारे सामने विवादित नहीं था, कि पंजाब न्यायालय अधिनियम किसी विशेष या स्थानीय कानून की शब्दावली के भीतर आएगा। ऐसा होने के कारण, इस संदर्भ में विशेष कानून या स्थानीय कानून शब्दों से जुड़ी सच्ची बारीकियों पर किसी भी विस्तार से विस्तार करना अनावश्यक है। इस स्वीकृत स्थिति पर, यह इस प्रकार है कि धारा 4 (1) के आधार पर पंजाब न्यायालय अधिनियम के प्रावधान किसी भी तरह से संहिता में निहित प्रावधानों से सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए , संहिता की धारा 100 के प्रावधान पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के संबंधित प्रावधानों को प्रभावित नहीं करते हैं।

(10) उपर्युक्त के अलावा, यह भी स्पष्ट है कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 समान रूप से उन क्षेत्रों में उच्च न्यायालय में द्वितीय अपील के संबंध में एक विशेष क्षेत्राधिकार या शक्ति प्रदान करती है जिन पर उक्त संविधि का अधिकार क्षेत्र फैला हुआ है। संहिता की धारा 4 (1) समान जोर के साथ इस तरह के किसी भी अधिकार क्षेत्र या किसी अन्य कानून द्वारा प्रदत्त शक्ति को कुछ समय के लिए छूट देती है। निस्संदेह पंजाब न्यायालय अधिनियम इन शब्दों के दायरे में भी आता है और एक आवश्यक परिणाम के रूप में उत्तरार्द्ध के प्रावधान फिर से संहिता से प्रभावित होने से पूरी तरह से बच जाते हैं जब तक कि इसके विपरीत कोई विशिष्ट खंड न हो।

(11) हमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, संहिता की धारा 4 (1) सामान्य रूप से पंजाब न्यायालय अधिनियम के प्रावधानों और विशेष रूप से इसकी धारा 41 के विशिष्ट प्रावधानों को उक्त संहिता के सामान्य प्रावधानों से किसी भी तरह से प्रभावित या प्रभावित होने से बचाती है।

(12) द्वितीय अपील के विशेष संदर्भ में ऐसा प्रतीत होता है कि संसद ने धारा 100(1) के प्रारंभिक भाग के आधार पर अपनी मंशा को दोगुना स्पष्ट कर दिया है, जिसे जोर देने के लिए पुन: उद्धृत किया जा सकता है

"100 (1)- इस संहिता के निकाय में या किसी अन्य कानून द्वारा ..... तक लागू किसी अन्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए अन्यथा को बचाएं।

(13) यहाँ, शेष संहिता में धारा 100 के विपरीत कुछ भी हमें इंगित नहीं किया गया था। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि उपरोक्त उद्धृत शब्द स्पष्ट रूप से द्वितीय अपील के विषय पर लागू किसी अन्य कानून को बचाते हैं। निस्संदेह, पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 एक ऐसा कानून है। संहिता की धारा 100 (10) के शुरुआती भाग का बड़ा इरादा इस विशेष क्षेत्र में सभी मौजूदा कानूनों को धारा 100 के प्रावधानों से किसी भी तरह से प्रभावित होने से छूट देना है। यह वास्तव में स्पष्ट हो जाता है जब धारा 100 ए के नए जोड़े गए प्रावधान का संदर्भ दिया जाता है। इस प्रावधान में विधायिका धारा 100 के तहत उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ आगे अपील करने के प्रावधान वाले अन्य सभी मौजूदा कानूनों को ओवरराइड करना चाहती थी। इसलिए, इसने यह प्रावधान करने के लिए इसमें श्रेणीबद्ध भाषा का उपयोग किया कि किसी भी उच्च न्यायालय के पत्र पेटेंट के प्रावधान के बावजूद या कानून के बल वाले किसी भी साधन या किसी अन्य कानून के प्रावधान के बावजूद इस तरह के फैसले से आगे कोई अपील नहीं की जाएगी, जबकि संहिता की धारा 100 ए व्यापक आयाम के एक गैर-बाध्यकारी खंड से शुरू होती है, दूसरी ओर धारा 100 के संबंध में एक बचत खंड द्वारा प्रस्तावना की जाती है। कोई अन्य कानून फिलहाल लागू है। भाषा में अंतर वास्तव में बहुत सादा और पेटेंट है जिसे आगे विस्तार की आवश्यकता है।

(14) हमारा स्पष्ट मत है कि संहिता की धारा 4(1) और 100(1) को एक साथ पढ़ने से यह अनूठा निष्कर्ष निकलता है कि विधायिका सभी विशेष या स्थानीय कानूनों के साथ-साथ

द्वितीय अपील के विषय पर लागू किसी अन्य कानून को भी अप्रभावित रखना चाहती है। पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41, जो स्पष्ट रूप से इस श्रेणी में आती है, इस प्रकार इन वैधानिक प्रावधानों के सादे निर्माण पर भी धारा 100 के प्रावधानों से किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगी।

(15) यहां तक कि संहिता की धारा 4 (1) और 100 के विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एक ही परिणाम बड़े सिद्धांतों का भी पालन करता प्रतीत होगा। इसमें शायद ही कोई संदेह हो सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता इस विषय पर देश का सामान्य कानून है। इसके विपरीत, पंजाब न्यायालय अधिनियम एक संकीर्ण और सीमित क्षेत्र में काम करता है, दोनों उस क्षेत्र के संबंध में जिस पर यह लागू होता है और जिस विषय वस्तु से यह संबंधित है। यह एक स्थापित कानून है कि एक विशेष प्रावधान या एक विशेष शक्ति सामान्य रूप से एक सामान्य प्रावधान को ओवरराइड करेगी। इस सामान्य सिद्धांत पर पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के विशेष प्रावधान उसी क्षेत्र में संहिता की धारा 100 के सामान्य प्रावधानों को बाहर करने के हकदार हैं। यदि इस तरह से स्थापित प्रस्ताव के लिए अधिकार आवश्यक था, तो *चानन सिंह* बनाम *श्रीमती माजो और अन्य* [(1)] में रिपोर्ट किए गए हाल के पूर्ण पीठ के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

(16) इस मुद्दे पर बारीकी से प्रभाव डालने वाले अधिकार का भारी भार, और सादृश्य के माध्यम से, अपीलकर्ताओं की ओर से प्रचारित प्रस्ताव को फिर से खारिज कर देता है। इस संदर्भ में मोहम्मद *जमील* बनाम *सौदागर सिंह और एक अन्य*[(2)] मामले में पूर्ण पीठ के फैसले को गौरवपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पूर्ववर्ती न्यायालय का उक्त निर्णय भले ही पूरी तरह से बाध्यकारी न हो, सर्वोच्च सम्मान और वजन का हकदार है। इसमें न्यायमूर्ति राम लाल ने पीठ की ओर से बोलते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की: -

"दूसरी अपील के विषय से संबंधित प्रावधान धारा 100, सीपीसी है, जो कहता है कि जैसा कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के सभी डिक्री से अपील करने का अधिकार है और उन आधारों को निर्दिष्ट करता है जिन पर ऐसी अपील ेे निहित होंगी। इस तरह दिए गए अधिकार को कभी भी निहितार्थ या अन्य प्रावधानों से ली गई उपमाओं या विधायिका के किसी कथित अतार्किक तर्क द्वारा छीना नहीं जा सकता है। पंजाब में अपील का अधिकार पंजाब न्यायालय अधिनियम, 1918 द्वारा विनियमित है। उस अधिनियम की धारा 41 में कहा गया है कि सीपीसी की धारा 100 में उल्लिखित आधारों पर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील में पारित प्रत्येक डिक्री में अपील की जाएगी। यह ध्यान दिया जाएगा कि अपील के अधिकार को स्वीकार करने में पंजाब कोर्ट एक्ट की धारा 41 की भाषा सीपीसी की धारा 100 में नियोजित भाषा से भी अधिक जोरदार है।

यह बात ध्यान देने योग्य है कि *भारत संघ* बनाम *मोहिंद्रा सप्लाई कंपनी*, [(3)] में कुछ टिप्पणियों से पूर्व-उद्धृत अनुपात किसी भी तरह से कमजोर या प्रभावित नहीं हुआ है, जिसने एक पूरी तरह से अलग बिंदु पर संदेह पैदा किया होगा जो पूर्ण पीठ के समक्ष भी था। वास्तव में, उक्त उच्चतम न्यायालय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के दायरे के संबंध में उनके लॉर्डशिप द्वारा निम्नलिखित संक्षिप्त टिप्पणी की गई है, जो अपीलकर्ताओं की ओर से प्रचारित प्रस्ताव की सहायता भी करती है-

"मध्यस्थता अधिनियम में नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 4 के समान कोई प्रावधान नहीं है जो विशेष क़ानूनों के तहत अदालतों के लिए आरक्षित शक्तियों को संरक्षित करता है।

(17) भौगोलिक निकटता के कारणों से अब हम सबसे पहले *केवल राम* बनाम *भगवान दास*, (4) में व्यक्त किए गए दृष्टिकोण पर ध्यान देंगे, जिसमें यह कहा गया था कि सिविल प्रक्रिया

संहिता की धारा 115 ने हिमाचल प्रदेश (न्यायालय) आदेश, 1948 के पैरा 35 के तहत प्रदत्त पुनरीक्षण शक्तियों को किसी भी तरह से निरस्त नहीं किया है ।–। रीवा शंकर और एक अन्य बनाम *नरसिंहंजी महाराज और अन्य* मामले में बाद के फैसले में उपरोक्त दृष्टिकोण पर भरोसा किया गया था, -जिसमें यह विशेष रूप से कहा गया था कि संहिता की धारा 100 किसी भी तरह से हिमाचल प्रदेश न्यायालय आदेश, 1948 के पैरा 32 में प्रदत्त विशेष शक्तियों को ओवरराइड नहीं करती है। उपर्युक्त निर्णयों ने स्पष्ट रूप से अब तक क्षेत्र को सही ठहराया है और उक्त न्यायालय में कोई विपरीत दृष्टिकोण हमारे ध्यान में नहीं लाया जा सकता है।

(18) हिमाचल के दृष्टिकोण को तब *चुन्नीलाल केशवजी* और अन्य बनाम *मनोदरा करमशी जगा* ([6]) में एक अन्य अधिकार क्षेत्र में स्वीकार किया गया है, जहां *केवल राम के मामले* (4) (सुप्रा) के तर्क को स्वीकार किया गया था - *और* यह माना गया था कि कच्छ में न्यायिक आयुक्त की अदालत में दूसरी अपील कच्छ न्यायालय आदेश की धारा 32 द्वारा शासित थी। 1948 न कि संहिता की धारा 100 द्वारा। *लालजी गणपत और अन्य* बनाम *लीलाधर देवजी* [(7)] के रूप में रिपोर्ट किए गए एक बाद के फैसले में, एक समान निष्कर्ष स्वतंत्र रूप से निकाला गया था।

(19) *भैया मोहम्मद अजीम* खान और अन्य बनाम *राजा मुमताज अली खान*, [(8)] में एक खंडपीठ ने इसी तरह की स्थिति में यह विचार लिया है कि अवध न्यायालय अधिनियम, 1925 की धारा 12 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 109 के सामान्य प्रावधानों को ओवरराइड करती है, और इसलिए एकल पीठ के फैसले से अपील मुख्य न्यायालय की पीठ के पास आती है।

(20) *एच. आर. पटेल* बनाम *श्रीमती सी. जी. वेंकटलक्ष्म्मा* और *अन्य*, (9) के रूप में रिपोर्ट किए गए पूर्ण पीठ के फैसले में, यह फिर से कहा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 98 (2) के प्रावधान किसी भी तरह से मैसूर मुख्य न्यायालय अधिनियम की धारा 15 (3) के

प्रावधानों को सीमित या प्रभावित नहीं करते हैं, जो मैसूर का एक विशेष और स्थानीय कानून है।

(21) फिर से गोविंदन नायर जे. ने *जी. शंकरन नायर* बनाम *कृष्णा पिल्लई कृष्ण पिल्लई कैप्पल्ली मदाथिल और एक अन्य*, [(10)] में खंडपीठ की ओर से बोलते हुए कहा है कि संघर्ष की स्थिति में संहिता के आदेश 21, नियम 46-1 और केरल लघु कारण न्यायालय अधिनियम की धारा 21 से 23 के प्रावधानों के बीच संघर्ष की स्थिति में, उत्तरार्द्ध प्रबल होगा और एक गार्निश के खिलाफ पारित आदेश, इसलिए, अपील योग्य नहीं होगा, बल्कि केवल संशोधन योग्य होगा।

(22) मुख्य न्यायाधीश भगवती (जैसा कि उस समय उनके लॉर्डशिप थे) *सुशीला केसरभाई* और अन्य बनाम *बाई लीलावती और अन्य* मामले में सात न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ के लिए बोलते हुए, ([11)] ने एक विस्तृत चर्चा के बाद निष्कर्ष निकाला है कि लेटर्स पेटेंट के खंड 36 के विशेष प्रावधान (समान विभाजन के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करते हैं) अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से प्रथम अपील की सुनवाई करने वाले न्यायाधीशों के बीच राय का आदान-प्रदान सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 98 के सामान्य प्रावधानों को ओवरराइड करेगा।

(23) उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि इसमें शामिल वैधानिक प्रावधानों की विशिष्ट भाषा और अधिकार के भारी भार के आधार पर सिद्धांत रूप में, यह माना जाना चाहिए कि पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के प्रावधान किसी भी तरह से नागरिक प्रक्रिया संहिता की संशोधित धारा 100 से प्रभावित या कम नहीं होते हैं। इसलिए, जिस क्षेत्राधिकार में पंजाब न्यायालय अधिनियम दूसरी अपील के प्रवेश और अधिनिर्णय का विस्तार करता है, वह अधिनियम की धारा 41 द्वारा संहिता की धारा 100 के सामान्य प्रावधानों को बाहर करने के लिए शासित होगा। इसलिए, पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक में लौटाया गया है।

(24) यद्यपि हम मौजूदा सांविधिक उपबंधों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, हमारा विचार है कि इस बिंदु पर कानून की एकरूपता के हित में, धारा 41 के तदनुरूपी प्रावधान अब धारा 100 के संशोधित उपबंधों के अनुरूप भी हो सकते हैं। इसके कारणों को स्पष्ट करना हमारे लिए स्पष्ट रूप से व्यर्थ होगा क्योंकि विधि आयोग ने अपने 54वें प्रतिवेदन में इस मामले पर विस्तृत रूप से विचार किया है और इसे विस्तार से प्रस्तुत किया है। उक्त रिपोर्ट के पृष्ठ 74 से 98 का संदर्भ वास्तव में इस बिंदु पर शिक्षाप्रद है और हम पूरी तरह से इससे सहमत हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1974 के उद्देश्यों और कारणों के कथनों और संहिता की धारा 100 के संशोधन से संबंधित उसके खंड 39 के नोटों का भी संदर्भ दिया जा सकता है। इस मामले पर संसदीय प्रवर समिति द्वारा पुन विचार किया गया और उसके बाद धारा 100 में संशोधन संसद द्वारा पारित किया गया और वर्तमान धारा 100 अधिनियमित की गई। यह याद रखने योग्य है कि पहले पंजाब न्यायालय अधिनियम की असंशोधित धारा 100 और धारा 41 के प्रावधान लगभग *अप्रचलित* थे और शायद ही कोई कारण प्रतीत होता है कि इसे जारी क्यों नहीं रखा जाना चाहिए। अत, हमारा विचार है कि इस मामले पर पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य सरकारों को ऐसी विधायी कार्रवाई करनी चाहिए जो वे आवश्यक समझें। विकल्प के रूप में यह भी केंद्र सरकार को विचार करना है कि क्या संशोधित धारा 100 पूरे देश में बेजोड़ प्रभाव नहीं रख सकती है, भले ही इसके विपरीत कोई भी मौजूदा स्थानीय या विशेष मूर्तियां हों। इस निर्णय की प्रतियां तीनों सरकारों को उनके विचारार्थ अग्रेषित की जाएं।

(25) अब प्रश्न संख्या 2 पर विज्ञापन। यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 100 में संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 'कानून का पर्याप्त प्रश्न' वाक्यांश पेश किया गया है। जैसा कि हमने ऊपर कहा है, इस धारा के प्रावधानों को अब पंजाब न्यायालय अधिनियम की धारा 41 के विशेष दृष्टिकोण के आधार पर बाहर रखा गया है। इस अधिकार क्षेत्र के भीतर, इसलिए, यह

प्रश्न प्रकृति में पूरी तरह से अकादमिक हो जाता है। उच्च न्यायालयों की यह स्थापित प्रथा है कि वे उन मुद्दों की जांच और निर्णय नहीं लेते हैं जो उनके समक्ष वादियों के अधिकारों को सीधे प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए, हम इस प्रश्न में जाने से इंकार करते हैं।

(26) मामला अब गुण-दोष के आधार पर निपटान के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के पास वापस जाएगा।

न्यायमूर्ति *एस.सी. मित्तल*, मैं सहमत हूँ.

न्यायमूर्ति *आर. एन. मित्तल*, जे. - मैं भी सहमत हूं।

एन.के.एस.

---

(1) 1976 पी.एल.आर. 726.

(2) ए.आई.आर. 1945 लाहौर 127.

(3) ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 256.

(4) ए.आई.आर. 1951 एच.पी.

(5) ए.आई.आर. 1957 एच.पी.

(6) ए.आई.आर. 1953 कुटेह 25.

(7) ए.जे.आर. 1953 कच्छ 24.

(8) ए.आई.आर. 1932 अवध 163.

(9) ए.आई.आर. 1955 मैसूर 65.

(10) ए.आई.आर. 1962 केरल 233.

(11) ए.आई.आर. 1975 गुजरात 39.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा